

फर्द अहकाम न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर					
प्रार्थी :- श्री राजु किस्म मुकदमा - 53, 188 रा.का.अ.			विपक्षी :- श्री चुन्नीलाल पत्रावली संख्या : 241 / 17 जीसीएमएस : 2017 / 00661		
क्रमांक	कार्यवाही विवरण				हस्ताक्षर पाली तथा सूचनाएं जारी की गईं
	दिनांक : 13.11.2024 <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रतिवादी सं. 7 से 9 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत पीडी पालना रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा पीडी पालना पर सहमत होकर अन्तिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया।</p> <p>हमने प्रकरण का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार से प्राप्त पीडी पालना का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा पीडी पालना पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर तहसीलदार से प्राप्त पीडी पालना पर सहमति व्यक्त कर मौके पर काश्तकारों के आने जाने के लिए रास्ते की भी सहूलियत होना बताकर विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु सहमत हैं। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत पीडी पालना रिपोर्ट से न्यायालय भी संतुष्ट हैं। अतः अधिवक्ता उभय पक्षकारान सहमत होने से वाद वादी स्वीकार योग्य पाया जाता है।</p> <p>परिणामस्वरूप वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा खादरा पटवार हल्का नउवा तह. घासा की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2077-80 के खाता सं. 67 पर दर्ज आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता है :-</p>				
क्र सं.	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	अण्ठीबाई पुत्री तोला हिस्सा 1/6 जाति भील सा. देह खातेदार, चैनकी पुत्री खेमराज हिस्सा 1/24 जाति भील सा. देह खातेदार, चुन्नीबाई पत्नी खेमराज हिस्सा 1/24 जाति भील सा. देह खातेदार, प्यारीबाई पुत्री तोला हिस्सा 1/6 जाति भील सा. देह खातेदार, भंवरलाल पिता तोला हिस्सा 1/6 जाति भील सा. देह खातेदार, रूपाबाई पुत्री तोला हिस्सा 1/6 जाति भील सा. देह खातेदार, राजु पिता खेमराज हिस्सा 1/24 जाति भील सा. देह खातेदार, लाला पिता खेमराज हिस्सा 1/24 जाति भील सा. देह खातेदार, हमेरीबाई पुत्री तोला हिस्सा 1/6 जाति भील सा. देह खातेदार	2436 / 31 / 1	0.4695	बा.तृ.0.4695	1.56
	योग	किता 1	0.4695	-	1.56
2	आदिवासी खान श्रमिक ठेका सहकारी समिति लिमिटेड भेसडाकलां देबारी तह. गिर्वा 1 अध्यक्ष पेमाराम पिता कालु भील निवासी विकरणी 2 मंत्री तुलसीराम पिता वरदा भील निवासी तुलसीदास जी की सराय हिस्सा सम्पूर्ण संस्था के लिए	2436 / 31 / 2	1.9424	बंजड1.7806 बा.तृ.0.1618	6.47
	योग	किता 1	1.9424	-	6.47
	कुल योग	किता 2	2.4119	-	8.03
<p>अन्तिम डिक्री पृथक से जारी हो। अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावे। न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 191/21 वाद आदिवासी खान श्रमिक बनाम भंवरलाल में भी उक्त दावे में वर्णित आराजीयात के सम्बन्ध में ही बंटवाडा चाहा गया था। चूंकि उक्त वादग्रस्त आराजीयात का बंटवाडा कर दिया गया है। ऐसे में प्रकरण संख्या 191/21 वाद आदिवासी खान श्रमिक बनाम भंवरलाल को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। पत्रावली 191/21 वाद एवं 241/17 वाद दोनो फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। उक्त निर्णय की एक प्रति प्रकरण संख्या 191/21 में भी रखी जावे।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> (रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली </p>					

